दिनांक 06.08.2022 को अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर राँची की अध्यक्षता में हुई ।

उपस्थिति :– पंजीनुसार ।

सर्व प्रथम सदस्यगण का स्वागत अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर राँची द्वारा किया गया । प्रभारी अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी, सदर राँची द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत निम्नलिखित योजनाओं के लिए प्राप्त प्रतिवेदन की जानकारी दी गई :–

(1) वनाधिकार अधिनियम के तहत भारतमाला परियोजनान्तर्गत कि0मी0– 71.323 से कि0मी0– 81.450 तक एन0एच 320B (गोला– ओरमांझी सेक्शन) के चौडीकरण/चार लेन के निर्माण हेतु संशोधित सूचीनुसार राँची जिलान्तर्गत ओरमाझी एव अनगडा अचल मे पडने वाले वन भूमि के सबंध मे भूमि (जंगल–झाडी) के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अचलाधिकारी, ओरमांझी के पत्रांक 865 (ii) दिनांक 11.10.2021 एवं अचलाधिकारी, अनगड़ा के पत्रांक 797 (ii) दिनांक 9.10.2021 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेखित भूमि की जांच वन विभाग द्वारा किया गया है, जिससे सबधित प्रतिवेदन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची के पत्रांक 2925 दिनांक 13.7.2022 द्वारा प्राप्त है । भूमि का विवरण निम्नवत है :–

Sl. No.	Anchal	Village Name	Thana No.	Khata No.	Plot No.	GM Jungal Jhari	Notified Forest	Total Area (in Ha.)	Nature of Land as per FOREST Map
1	Angara	Id-01	01	61	1012	0.7610	0.0404	0.8014	Notified Forest & GMJJ
					991	1.3702	0	1.3702	GMJJ
					Total	**2.1312**	**0.0404**	**2.1716**	
2	Ormanjhi	Kute	85	113	354	0.0041	0	0.0041	GMJJ
				113	355	0.0162	0	0.0162	GMJJ
				79	443	0.0769	0	0.0769	GMJJ
					Total	**0.0972**	**0**	**0.0972**	
		Koalu	65	18/19	13	0.1502	0.6477	0.7979	Notified Forest & GMJJ
					157	0.645	0	0.6450	GMJJ
					160	0	0.0400	0.0400	Notified Forest
					174	0	0.0283	0.0283	Notified Forest
					199	0	0.0134	0.0134	Notified Forest
					Total	**0.7952**	**0.7294**	**1.5246**	
		Charu	76	84	1110	0.4169	0	0.4169	GMJJ
					1540	0.0454	0	0.0454	GMJJ
					Total-	0.4623	0	0.4623	
					Grand Total-	**3.4859**	**0.7698**	**4.2557**	

बैठक में सर्व सम्मति से इसे अनुमोदित करते हुए जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को भेजने का निर्णय लिया गया ।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
सदर राँची ।

ज्ञापांक 58 /क0, दिनांक 13.08.22

प्रतिलिपि– जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– संबंधित अंचलाधिकारियों (ओरमांझी एवं अनगड़ा) को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि– उपायुक्त, राँची/अपर समाहर्त्ता, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
सदर राँची ।

कार्यालय, अंचल अधिकारी, अनगड़ा, राँची।

प्रमाण–पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि मौजा– ईद, थाना सं०– 01, खाता सं०– 61, प्लॉट सं०– 1012, 991 रकबा– 0.8014 हेक्टेयर एवं 1.3702 हेक्टेयर कुल रकबा– 2.1716 हेक्टेयर भूमि आर० एस० खतियान में गैर मजरूवा मालिक जंगल–झाड़ी भारतमाला परियोजना अन्तर्गत कि०मी० 71.323 से कि०मी० 81.450 तक एन०एच०बी० (गोला–ओरमाँझी सेक्शन) के चौड़ीकरण/चारलेन के निर्माण हेतु अधिग्रहित होने वाली जंगल/गैरमजरूवा जंगल–झाड़ी भूमि के अपयोजन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम अन्तर्गत 2006 के तहत् ग्राम सभा की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित ग्राम सभा की कार्यवाही/पारित प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि एवं गैर मजरूवा खास / जंगलझाड़ी अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्रामसभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/ मातृभाषा में ग्रामसभा को व्याख्यापित कर दी गयी है।

3. प्रमाणित किया जाता है। वनभूमि एवं गैर मजरूवा खास/ जंगलझाड़ी अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में चर्चा की गई।

4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा– 3(2)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिये जाने वाले सुविधाओं में संबंधित वनभूमि एवं गैर मजरूवा खास/जंगलझाड़ी अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा– 3(2) के तहत् ग्राम सभा की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। तथा ग्रामसभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।

09/10/23

राजस्व–उप–निरीक्षक | अंचल निरीक्षक | अंचल अधिकारी
अनगड़ा, राँची।

Office, Circle Officer, Angara Ranchi

भारतमाला परियोजना अन्तर्गत एन०एच०(गोला से ओरमाँझी सेक्शन) के चौड़ीकरण/चार लेन के निर्माण हेतु मौजा– ईद के भूमि हस्तान्तरण की विवरणी

Land Description Village	Khata No.	Plot No.	Area (in Hecture)	Total Notified Forest Area	Teanancy Land	G.M.K Land	G.M.K Jungle Jhari Land
ईद–01	61	1012	0.8014	0.8014	---	G.M.K Land	जगल–झाडी
		991	1.3702	0.00	---	G.M.K Land	जगल- झाडी
		Total:-	2.1716	0.8014			

Halka KC

Circle Inspector

Circle Officer
Angara,Ranchi

LRDC, Ranchi

06/08/22
SDO, Ranchi

Additional Collector,
Ranchi

[illegible] दिनांक 26/6/2021 को ग्राम [illegible]
सोमा मुण्डा के अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन (43)
किया गया जिसमें निम्नलिखित ग्रामीण उपस्थित हुए
(260)

① रघुवर [illegible] 26.6.2021

② अभिमन्यु [illegible] 26/6/21

③ [illegible] कुमार [illegible]

④ [signature] [illegible]

⑤ BalRam Pahan

⑥ [signature] 26/6/2021
[illegible] Monda

⑦ बकलु मुण्डा

⑧ [illegible] नैरवर मुण्डा

लालू मुण्डा

⑨ रमेश बेदिया

10

प्रस्ताव ① अपर समाहर्ता राँची के पत्रांक 2212 दिनांक 15/6/21 के आदेश अनुसार मौजा ईद में भारत माला परियोजना अन्तर्गत कोरिडोर सड़क का निर्माण किया जाना है जिसमें गैरमजरूआ आम खास भूमि और रैयती भूमि [illegible] के रूप में है, कि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

हैं भाग पर बातचीत किया जाता है, इस पर
नियम अनुसार ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक है
मौजा ईद खाता नं० 184 रकबा 70 डि० 61 प्लाट० 99
रकबा 11.60 एकड़ किस्म जंगल झाड़ी एवं प्लाट संख्या
1012 रकबा 5.1 एकड़ किस्म जंगल झाड़ी दर्ज है,
3 जिसके अन्तर प्लॉट नं० 991 में 2.53 एकड़ एवं 1012 में
14 डी० प्रस्तावित है भूमि के दर्ज है इस भूमि का
फोरलेन रोड निर्माण हेतु ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति
से सहमति प्रदान किया जाता है।

इसके साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

ग्राम प्रधान
ईद
पंचायत हराती
प्रखण्ड अनगड़ा
लालचन्द मुण्डा
26/6/2021

(रा० उप० निरी०)

अभिप्रमाणित

26/10

अंचल अधिकारी
अनगड़ा (राँची)

अंचल कार्यालय ओरमांझी, (राँची)।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

ज्ञापांक 866(II)
दिनांक 11.10.21

प्रमाणित किया जाता है कि भारतमाला परियोजना के लिए प्रस्तावित मौजा – कुटे, प्लॉट सं० – 354, 355, 443 रकबा क्रमश: 0.0041, 0.0162, 0.0769 एकड़ वनभूमि (वन भूमि को क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जन जाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति कुटे द्वारा इसपर सहमति प्राप्त की गई है। उक्त सहमति के आलोक में निम्नांकित विवरणी की वन भूमि के अपयोजन हेतु सहमति दी जाती है :-

वन भूमि की विवरणी

क्र० सं०	ग्राम/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (हेक्टयर)	किस्म जमीन
1	कुटे/78		354	0.0041	जंगल झाड़ी (प्राइवेट)
2	कुटे/78		355	0.0162	जंगल झाड़ी (प्राइवेट)
3	कुटे/78		443	0.0769	जंगल झाड़ी (गैरमजरूआ)
			कुल 0.0972		

अंचल कार्यालय, ओरमांझी (राँची)

11/10/2021

अंचल धिकारी,
ओरमांझी राँची।

11/10/21

SCHEDUL OF FOREST JANGAL JHARI LAND AND NOTIFIED FOREST LAND WITHIN PROPOSED BHARAT MALA ROAD CONSTRUCTION PROJECT IN VILLAGE KUTE

CIRCLE:-ORMANJHI

LAND DESCRIPTION VILLAGE	KHATA NO	PLOT NO	TOTAL AREA (In Acre) (एकड़)	TOTAL NOTIFICATION FOREST AREA	TOTAL ACQUAIRED AREA (In Hactare)	TENANCY LAND	G.M.A JANGAL JHAR LAND	G.M.K JANGAL JHAR LAND	NATURE OF LAND	REMARK
कुटे/85	113	354	0.0041	-	-	-	-	G.M.K	जंगल झाड़ी	-
कुटे/85	113	355	0.0162	-	-	-	-	G.M.K	जंगल झाड़ी	-
कुटे/85	79	443	0.0769	-	-	-	-	G.M.K	जंगल झाड़ी	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			कुल - 0.0972							

REVENUE DEPUTY INSPECTOR ORMANJHI

CIRCLE INSPECTOR ORMANJHI

CIRCLE OFFICER ORMANJHI

LRDC SADAR RANCHI

06/08/22

SDO RANCHI

AC RANCHI

आज दिनांक 30/9/2021 को ग्राम कुटे पंचायत कुटे सचिवालय में भारत माला परियोजना के अन्तर्गत आने वाले गैरमजरूवा भुमि के सम्बन्ध में कुटे सचिवालय में ग्राम प्रधान सुकरा मुण्डा के अध्यक्षता में एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया आज का इस ग्राम में ग्राम कुटे के सभी महिला एवं पुरुष ग्राम सभा की बैठक मे भली भाती से ग्रामीन उपस्थित हुए

आज का ग्राम सभा में ग्राम कुटे से होकर जाने वाला भारत माला परियोजना के सम्बन्ध में चर्चा किया गया चर्चा में सभी ग्रामीनो ने चर्चा समर्थन किया आज के ग्राम सभा का चर्चा को महत्व पुर्ण मानते हुए ग्रामीनो ने कहा कि भारत माला परियोजना के अन्तरगत आने वाला गैमरूवा जमीन पर घर एवं मकान या खेत बाड़ी कुवाँ कुछ भी बनाया है उसे रोड़ के लिए छोड़ देना है इस बात को ग्रामीनो सत्य मान कर ग्राम कुटे के प्लोट नं० 354-355-443 आज का ग्राम सभा का कर्यवाही को सम्पत किया गया आज का ग्राम सभा मे उपस्थित ग्रामीनो का अपना अपना हस्तक्षर एवं अंगुठा का निसान किया

अध्यक्षा
सुकरा मुण्डा

ग्राम प्रधान
कुटे ओरमांझी, रांची

(9)

आज दिनांक 30/9/2021 को ग्राम कुटे पंचायत कुटे सचिवालय में भारत माला परियोजना के अन्तर्गत आने वाले गैरमजरूवा भुमि के सम्बन्ध में कुटे सचिवालय में ग्राम प्रधान सुकरा मुण्डा के अध्यक्षता में एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया। आज का इस ग्राम में ग्राम कुटे के सभी महिला एवं पुरुष ग्राम सभा की बैठक में भली भाती से ग्रामीन उपस्थित हुए

आज का ग्राम सभा में ग्राम कुटे से होकर जाने वाला भारत माला परियोजना के सम्बन्ध में चर्चा किया गया चर्चा में सभी ग्रामीनो ने चर्चा समर्थन किया। आज के ग्राम सभा चर्चा को महत्व पुर्ण मानते हुए ग्रामीनो ने कहा कि भारत माला परियोजना के अन्तरगत आने वाला गैमरूवा जमीन पर घर एवं मकान या खेत बाड़ी कुवाँ कुछ भी बनाया है उसे रोड़ के लिए छोड़ देना है इस बात को ग्रामीनो सत्य मान कर ग्राम कुटे के प्लोट न० 354-355-443 आज का ग्राम सभा का कर्यवाही को सम्पत किया गया। आज का ग्राम सभा मे उपस्थित ग्रामीनो का अपना अपना हस्ताक्षर एवं अंगुठा का निसान किया

प्लोट न०
355/
479
34

भारत माला परियोजना हेतु पारित किया गया।
सुकरा मुण्डा

अध्यक्ष
सुकरा मुण्डा
30-9-2021
ग्राम प्रधान
कुटे नौरतनपुरी, राँची
झारखण्ड

1. आजाद अंसारी
2. जितु मुंडा
3. करन महतो
4. दिनेश महतो
5. भीम कुमार महतो
6. सुगिया देवी
7. भवानी महतो
8. गुलाम रसूल अन्सारी
9. चन्द्रेश्वर महतो वार्ड सदस्य-07
10. रत्नी [illegible]
11. मो० शफ़ीक अन्सारी
12. मो० सज्जाद अंसारी
13. रामेश्वर महतो
14. Md. Khurshid Alam
15. मो० [illegible]
16. Sunita Devi (जल सहिया)
17. बालो देवी
18. [illegible] महतो
19. संजु देवी
20. मालिका देवी
21. मेघन देवी
22. मैरा देवी
23. शेरजन महतो
24. कमाल अन्सारी
25. कुरेशा खातून
26. मुस्तफा खान
27. ख्वाजा दाराबाद
28. अनवारी खातून
29. ज्वालाउद्दीन
30.
31.
32. मो० सोएब आलम
33. वारिस अंसारी
34. केशवनाथ महतो
35. रोजनलाल महतो
36. Dilnawaz Alam
37. Rajesh Imam
38. इमरान अंसारी
39. Amir Khan
40. रामजतन महतो
41. मंगल मुण्डा
42. [illegible]
43. नागेश्वर [illegible]
44. Jagesh Kumar M
45. सहदेव नाथ महतो
46. नागेश्वर महतो

अभिप्रमाणित

अंचल अधिकारी

47 सदाम अन्सारी
48 अशोक महतो
49 सुखदेव महतो
50 Rajesh Pahan
51 Raja Ansari
52 कोमा देवी
53 निरावती देवी
54
55 चरकी देवी
56 बसंती देवी
57 अंजू देवी
58 इमरान अंसारी
59 Suraj Mahto
60 किरण देवी
61 सबनम खातुन
62 अनीशा परवीन
63
64 शंकर कुम उराव
65
66 धुमेश महतो
67 सहनाज
68
69 चरकी देवी
70 साजीद अन्सारी
71 सबीना खातुन
72 अब्दुल अन्सारी
73 जब्बार अन्सारी
74 भीम कु० महतो
75 सुरती देवी
76 संजीत महतो
77 समन देवी

सुकरा मुण्डा
30-6-2021

ग्राम प्रधान
कुटे ओरमांझी, राँची
(झारखण्ड)

संख्या– 02   दिनांक 30 / 09 / 2021

प्रमाण–पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि ....परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित ....वन भूमि (वन भूमि का क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत settlement of rights की प्रकिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा की व्याख्यापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा न्यूनतम पचास प्रतिशत् सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदि जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा–(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा–3(2) के तहत प्रकिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इसपर सहमति व्यक्त की गई है।

(1) सेवालाल महतो
Jagesh Kumar Mahto
गुलेश्वर महतो
दिलेश्वर पाहन
काशीनाथ महतो
30-9-2021

अध्यक्ष
ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति
अधिनियम 2006
30/9/2021

अंचल अधिकारी
ओरमाँझी (राँची)

ग्राम प्रधान
कुटे ओरमाझी, राँची
20-9-2021

अंचल कार्यालय ओरमांझी, (राँची)।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

ज्ञापांक...967(ii)
दिनांक ..11.10.21

प्रमाणित किया जाता है कि भारतमाला परियोजना के लिए प्रस्तावित मौजा – कोवालु, प्लॉट सं० – 13, 157, 160, 174, 199 रकबा क्रमश: 0.7979, 0.645, 0.0400, 0.0283, 0.0134 एकड़ वनभूमि (वन भूमि को क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जन जाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति कुटे द्वारा इसपर सहमति प्राप्त की गई है। उक्त सहमति के आलोक में निम्नांकित विवरणी की वन भूमि के अपयोजन हेतु सहमति दी जाती है :-

वन भूमि की विवरणी

क्र० सं०	ग्राम/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (हेक्टयर)	किस्म जमीन
1	कोवालु/65	18/19	13	0.7979	जंगल झाड़ी (गैरमजरूआ)
2	कोवालु/65	18/19	157	0.645	जंगल झाड़ी (गैरमजरूआ)
3	कोवालु/65	18/19	160	0.0400	जंगल झाड़ी (गैरमजरूआ)
4	कोवालु/65	18/19	174	0.0283	जंगल झाड़ी (गैरमजरूआ)
5	कोवालु/65	18/19	199	0.0134	जंगल झाड़ी (गैरमजरूआ)
				कुल 1.5246	

(मुहर: अंचल कार्यालय, ओरमांझी, राँची)

11/10/2021

अंचल धिकारी,
ओरमांझी राँची।

11/10/21

SCHEDUL OF FOREST JANGAL JHARI LAND AND NOTIFIED FOREST LAND WITHIN PROPOSED BHARAT MALA ROAD CONSTRUCTION PROJECT IN VILLAGE KOWALU

CIRCLE:-ORMANJHI

LAND DESCRIPTION VILLAGE	KHATA NO	PLOT NO	TOTAL AREA (In hectare)	TOTAL NOTIFICATION FOREST AREA	TOTAL ACQUAIRED AREA (In Hactare)	TENANCY LAND	G.M.K JANGAL JHAR LAND	G.M.K JANGAL JHAR LAND	NATURE OF LAND	REMARK
कोवालु/65	18/19	13	0.7979	-	-	-	-	G.M.K	जगल झाडी	-
कोवालु/65	18/19	157	0.6450	-	-	-	-	G.M.K	जगल झाडी	
कोवालु/65	18/19	160	0.0400	-	-	-	-	G.M.K	जगल झाडी	-
कोवालु/65	18/19	174	0.0283	-	-	-	-	G.M.K	जगल झाडी	-
कोवालु/65	18/19	199	0.0134	-	-	-	-	G.M.K	जगल झाडी	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		कुल - 0.1.5246								

REVENUE DEPUTY INSPECTOR ORMANJHI

CIRCLE INSPECTOR ORMANJHI

CIRCLE OFFICER ORMANJHI

LRDC SADAR RANCHI

06/08/22
S.DO RANCHI

AC RANCHI

(61)

संख्या– 01 दिनांक 3/10/2021

प्रमाण–पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि .... परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित 13, 157, 160, 174, 199, 2979, 6450, 1400, 283, 134 .... वन भूमि (वन भूमि का क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत settlement of rights की प्रकिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूनि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा की व्याख्यापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूनि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा न्यूनतम पचास प्रतिशत् सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदि जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा–(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा–3(2) के तहत प्रकिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इसपर सहमति व्यक्त की गई है।

अभिप्रमाणित

अंचल अधिकारी
ओरमाँझी (राँची)

अध्यक्ष - बिरेन्द्र मुण्डा
मो० - 6200678910
ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति
अधिनियम 2006

सचिव - परमेश्वर मुण्डा
मो० - 8969455600

आज दिनांक ....., ग्राम कोलाबु में एक विशेष बैठक बुलाया गया जि
वन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष एवं सचिव तथा कोषाध्यक्ष का
ग्राम प्रधान कि अध्यक्षता द्वारा किया गया और सभी ग्रामी
कि सर्वसम्मति के द्वारा चयनित किया गया, इस सभी ग्रा
को पढ़कर सुनाया गया और अपना हस्ताक्षर कि किया एवं टेपा निशा
किया,

अध्यक्ष - बिरेन्द्र मुंडा / पिता स्व. राम चरण मुंडा
मो. - 6200678910.

सचिव - परमेश्वर मुंडा / पिता स्व. हरिराम मुण्डा
मो. - 8969455600.

कोषाध्यक्ष - मिथलेश कु० मुण्डा / पिता - स्व. अजय नाथ मुंडा
मो. - 6207607166.

ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर

मंगल मुण्डा
ग्राम प्रधान
कोलाबु
दिनांक.........

ग्रामीणों का हस्ताक्षर

1. परमेश्वर मुण्डा
2. मिथलेश कु० मुण्डा
3. बिरेन्द्र मुण्डा
4. आरती देवी
5. चन्द्र मोहन मुण्डा
6. मनशीया मुण्डा
7. कृष्णा कुमार
8. Kumesh Munjhi
9.
10. नरेन्द्र मुण्डा

(57)
(247)

सरस्वती देवी

(15) सावित्री देवी

(16) अमित मुण्डा
(17) शंकर मुण्डा

(18) विमला देवी

(19) मालती देवी
(20) सुनिता देवी
(21) सिमल देवी
(22) निर्मला देवी
(23) जय मुण्डा
महेश भोगता
(24) रीना देवी
(25) सरिता देवी
(26) [illegible] मुण्डा

अभिप्रमाणित

अंचल अधिकारी
ओरमांझी (रांची)

संजय मुण्डा
ग्राम प्रधान
कोवाली
दिनांक.........

अंचल कार्यालय ओरमांझी, (राँची)।

51
3/16

अनापत्ति प्रमाण पत्र

ज्ञापांक 868(ii)
दिनांक 11.10.21

प्रमाणित किया जाता है कि भारतमाला परियोजना के लिए प्रस्तावित मौजा – चाड़ू, खाता नं० - ...., प्लॉट सं० – 1110, 1540, रकबा क्रमश: 0.4169 एवं 0.0454, कुल रकबा - 0.4623, एकड़ वनभूमि (वन भूमि को क्षेत्रफल) के संवंध में अनुसूचित जन जाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति कुटे द्वारा इसपर सहमति प्राप्त की गई है। उक्त सहमति के आलोक में निम्नांकित विवरणी की वन भूमि के अपयोजन हेतु सहमति दी जाती है :-

वन भूमि की विवरणी

क्र० सं०	ग्राम/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (हेक्टयर)	किस्म जमीन
1	चाड़ू/75		1110	0.4169	जंगल झाड़ी (गैरमजरूआ)
2	चाड़ू/75		1540	0.0454	जंगल झाड़ी (गैरमजरूआ)
				कुल 0.4623	

अंचल कार्यालय, ओरमांझी (राँची)

11/10/2021

अंचल धिकारी,
ओरमांझी राँची।
11/10/21

SCHEDUL OF FOREST JANGAL JHARI LAND AND NOTIFIED FOREST LAND WITHIN PROPOSED BHARAT MALA ROAD CONSTRUCTION PROJECT IN VILLAGE CHARU

CIRCLE:-ORMANJHI

LAND DESCRIPTION VILLAGE	KHATA NO	PLOT NO	TOTAL AREA (In hectare)	TOTAL NOTIFICATION FOREST AREA	TOTAL ACQUAIRED AREA (In Hactare)	TENANCY LAND	G.M.K JANGAL JHAR LAND	G.M.K JANGAL JHAR LAND	NATURE OF LAND	REMARK
चाड़ू/76	84	1110	0.4169	-	-	-	-	G.M.K	जगल झाड़ी	-
चाड़ू/76	84	1540	0.0454	-	-	-	-	G.M.K	जगल झाड़ी	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		कुल - 0.4623								

REVENUE DEPUTY INSPECTOR ORMANJHI

CIRCLE INSPECTOR ORMANJHI

CIRCLE OFFICER ORMANJHI

LRDC SADAR RANCHI

06/08/22
SDO RANCHI

AC RANCHI

आज दिनांक १८.७.२०२२ को ग्राम सभा भारत माला परियोजनान्तर्गत के सम्बन्ध में ग्राम सभा ग्राम प्रधान श्री जयलाल करमाली के अध्यक्षता में हुआ जिसमे सभी ग्रामिणों ने उपस्थित हुए।

ग्राम प्रधान
जयलाल करमाली

सोमनाथ मांझी
हीरालाल महतो
प्रमोद कुमार
इन्द्रजीत महतो
रमेश महतो
तीजूना महतो
अशोक महतो
ललका महतो
आनन्द महतो
सुजीत करमाली
अशोक महतो

प्रस्ताव नं० 1

ग्राम चाड़ू गैरमजरुआ जमीन का ब्यौरा है

	प्लौट नं०	
1	1015	परती कदीम
2	1110 ✓	जंगल झाड़ी
3	1214	रास्ता
4	1232	रास्ता
5	1340	परती कदीम
6	1351	परती कदीम
7	1357	परती पत्थर
8	1360	मोटा आर
9	1361	परती गड़ा
10	1377	परती पत्थर
11	1450	रास्ता
12	1464	रास्ता
13	1512	परती कदीम
14	1540 ✓	जंगल झाड़ी
15	363	परती कदीम
16	436	रास्ता
17	502	रास्ता
18	504	रास्ता
19	505	देव स्थल (ग्राम चाड़ू)
20	506	रास्ता
21	573	रास्ता
22	579	रास्ता
23	584	रास्ता

ग्राम प्रधान
ग्राम चाड़ू (ओरमांझी)
[illegible signature]

अभिप्रमाणित
[signature]
अंचल अधिकारी
ओरमांझी (राँची)

(55)

संख्या– 01 दिनांक 2 / 10 / 2021

प्रमाण–पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि भारत माला परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित (ग्राम चौड़) 1110, 1540 रकबा 0.4069, 0.04547 – कुल 4523 वन भूमि (वन भूमि का क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत settlement of rights की प्रकिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के सम्क्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा को व्याख्यापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा न्यूनतम पचास प्रतिशत् सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदि जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा–(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा–3(2) के तहत प्रकिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इसपर सहमति व्यक्त की गई है।

Abhyumanyu (signature)
अंचल अधिकारी
ओरमांझी (रांची)

प्रह्लाद महतो (signature)
अध्यक्ष
ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति
अधिनियम 2006

अध्यक्ष
वन सुरक्षा समिति
चाड़ू